ओंकार सिंह बनाम भूमि(सरकार)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	केस / मु.नं. - 124/2023
	दलपतसिंह आयु 70 वर्ष जाति राजपूत तथा साक्ष्य गवाह में हनुमानसिंह पुत्र ओंकार सिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत व मानसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम टटेरा के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए, जो शामिल मिशल किये गये। वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 19.12.23 को पेश हों। PO साहब आवश्यक कार्यवश जयपुर पधारे हुये हैं।
19.12.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। साक्ष्य वादी में पूर्व में प्रस्तुत शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया व वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य समाप्त कर आज ही अंतिम बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवदेन पर बहस अंतिम सुनी गई। प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

Rathore 19/12/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
124 / 2023	2023 / 240	02.08.2023	19.12.2023

उनवान प्रकरण

1. भंवरसिह पुत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
2. रघुवीरसिंह पुत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
3. भरतसिंह पुत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
4. हिम्मतसिंह पुत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
5. गिरधारीसिंह पुत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
6. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह पौत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
7. महेन्द्रसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह पौत्र दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
8. रेखा कंवर पत्नी गोवर्धन सिंह
9. शोभा कंवर पुत्री स्व0 गोवर्धन सिंह पौत्री दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
10. सिमरन कंवर पुत्री स्व0 गोवर्धन सिंह पौत्री दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह
11. जानवी कंवर पुत्री स्व0 गोवर्धन सिंह पौत्री दिलिप सिंह उर्फ दलपतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादीगण ——

उपस्थित : –

श्री कमल कुमार शर्मा एड0, वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी।

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.67 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसकी खातेदारी दीलिपसिंह पुत्र हरनाथसिंह के नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.41 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 2/3 हिस्से की खातेदारी दीलीपसिंह पुत्र हरनाथसिंह के नाम है। भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.43 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें 2/3 हिस्सा की खातेदारी दीलीपसिंह पुत्र हरनाथ सिंह के नाम है। भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.34 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 2/3 हिस्से की खातेदारी दिलीपसिंह पुत्र हरनाथसिंह के नाम है। भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित हैं। जिसके 2/3 हिस्से की खातेदारी दीलीपसिंह पुत्र हरनाथसिंह के नाम है। भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.74 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 15/29 हिस्से की खातेदारी दीलीपसिह पुत्र हरनाथसिंह के नाम है। भूमि खसरा नम्बर 165, 322, 328 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 715, 716, 718, 719, 721, 722, 723, 731 कुल किता 8 कुल रकबा 3.27 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी दीपीलसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम दर्ज हैं। भूमि खसरा नम्बर 324, 325, 326, 329, 335, 336, 338 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टर तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित हैं। जिसके 1/4 हिस्से की खातेदारी दलपतसिंह पुत्र नारायणसिह के नाम दर्ज हैं। वादीगण एक ही सजरा खानदान के हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण की पैतृक भूमियां हैं। मुताबिक सजरा खानदान सबलसिंह के तीन पुत्र क्रमशः हरनाथसिंह, नारायणसिह, रामनाथसिंह हैं। जिनमें हरनाथसिह, रामनाथसिह अविवाहित फौत हो गये थे। सबलसिंह के पुत्र नारायणसिह के पुत्र दलपतसिंह उर्फ दीलीपसिंह को राजस्व रिकॉर्ड में हरनाथसिंह व नारायणसिंह पुत्र दर्ज कर दिया गया है बल्कि उक्त हरनाथसिंह दीलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह के ताऊ थे। दीलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह के पिता का सही नाम नारायणसिंह था। इस प्रकार हरनाथसिंह व नारायणसिंह की भूमियों में वादीगण के पिता व दादा दीलीपसिंह उर्फ दलपतसिह की विधिक काबिज व मालिक थे। उक्त दीलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह का देहान्त हो चुका हैं। उनके नाम दर्ज उपरोक्त समस्त भूमियां उनके दर्ज हिस्सा को वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के विधिक अधिकारी हैं। वादीगण के नाम उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

नहीं होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख सुविधाओं से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं। इस कारण वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक व न्यायोचित हैं। वादीगण ने उपरोक्तानुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर व उपतहसीलदार अजीतगढ़ से दिनांक 05.07.2023 को निवेदन किया तो न्यायालय में वाद दायर कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने बाबत कथन किया। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण ने दावा विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.67 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.41 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.43 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.74 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 165, 322, 328 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 715, 716, 718, 719, 721, 722, 723, 731 कुल किता 8 कुल रकबा 3.27 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 324, 325, 326, 329, 335, 336, 338 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीगण को उनके विधिक हक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावें तथा वादपत्र में उपरोक्त वर्णित भूमियों में से दिलीपसिह पुत्र हरनाथसिंह, दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह, दिलीपसिंह पुत्र नारायण व दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ फरमाया जाकर उनके स्थान पर वादीगण के नाम उनके विधिक हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज करायी जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत रायपुर जागीर से तथ्यात्मक जांच रिपार्ट चाही जाने पर प्राप्त [illegible] जांच रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की। वादी के मुख्य परीक्षण में [illegible] दिलिपसिंह उर्फ दलपतसिंह आयु 63 वर्ष जाति राजपूत व भंवरसिंह पुत्र दिलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह आयु 70 वर्ष जाति राजपूत तथा साक्ष्य गवाह में हनुमानसिह पुत्र ओंकार सिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत व मानसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम टटेरा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली रहे। वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत रायपुर जागीर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदीयों, दस्तावेजात, ग्राम पंचायत टटेरा सरपंच के प्रमाण–पत्र, भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से दिलिपसिंह पुत्र हरनाथ सिंह व दिलिप सिंह पुत्र नारायण सिंह एवं दलपत सिंह पुत्र नारायण सिंह ग्राम टटेरा में एक ही व्यक्ति हैं। उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.67 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.41 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.43 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.74 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 165, 322, 328 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 715, 716, 718, 719, 721, 722, 723, 731 कुल किता 8 कुल रकबा 3.27 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 324, 325, 326, 329, 335, 336, 338 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीगण को उनके विधिक हक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जानें तथा उक्त वर्णित भूमियों में से दिलीपसिंह पुत्र हरनाथसिंह, दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह, दिलीपसिंह पुत्र नारायण व दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ फरमाया जाकर उनके स्थान पर वादीगण के नाम उनके विधिक हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज करायी जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का [illegible] बाबत् घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.67 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.41 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 221

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रकबा 0.43 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.74 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 165, 322, 328 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 715, 716, 718, 719, 721, 722, 723, 731 कुल किता 8 कुल रकबा 3.27 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 324, 325, 326, 329, 335, 336, 338 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम टटेरा पटवार हल्का टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीगण को उनके विधिक हक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर तथा उक्त वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.41 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.43 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.34 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 218, 219, 220 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.74 हैक्टर की खातेदारी से दिलीपसिह पुत्र हरनाथसिंह का नाम, भूमि खसरा नम्बर 165, 322, 328 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 हैक्टर से दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह का नाम, भूमि खसरा नम्बर 715, 716, 718, 719, 721, 722, 723, 731 कुल किता 8 कुल रकबा 3.27 हैक्टर से दीलीपसिंह पुत्र नारायण का नाम व भूमि खसरा नम्बर 324, 325, 326, 329, 335, 336, 338 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टर से दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण के नाम उनके विधिक हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

19/12/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:23:41 IST
Reason: SelfAttested